



संख्या: 1971/आठ-1-09-1विधि/2000

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ।
2. उपाध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. अध्यक्ष, समरत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 18 जून, 2009

विषय:— वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओटीएस.)—2002 की समय-सीमा वृद्धि के संबंध में।

संगीत
महोदय,

आप अवगत हैं कि पूर्व में निर्गत शासनादेश रांख्या: 78/आठ-1-09-01 विधि/2000, दिनांक 13.02.09 के माध्यम से सभी श्रेणी के आवंटियों को ओटीएस योजना—2002 का लाभ प्रदान करते हुए दिनांक 30.06.09 तक घनसाशि जमा करने की छूट प्रदान की गयी थी।

2. इस संबंध में शासन स्वार पर सम्यक् विवारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओटीएस योजना—2002 सभी श्रेणी के आवंटियों के लिए लागू करते हुए इसकी समय-सीमा दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 तक बढ़ायी जाती है। शेष शर्तें ओटीएस योजना—2002 के अंतर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 एवं 30.10.02 में निहित प्राविधिकान्तों के अनुरूप रहेंगी। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से उक्त योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अत्रीत कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

मबदीय,

(श्रीकृष्ण)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 1971(1)/आठ-1-09, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, कर एवं निवन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. महानिरीक्षक, निवन्धन को सभी प्राधिकरणों/परिषद में सब रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने के रपट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/समरत विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
5. निजी सचिव, ना. मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ.प्र., लखनऊ।
7. अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि उक्त शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की येवसाइट पर अपलोड करते हुए संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच.पी. सिंह)
अनु सचिव